अल्पकालिन

पत्रांक 95 /परि0शाखा
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक (सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार,पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 12-01-2021

प्रसंग :– भवदीय का कार्यालय पत्रांक–26/परि0शाखा दिनांक–06.01.2021

विषय :– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार,पटना की रद्द घोषित कुल–15 (पन्द्रह) अद्द पुलिस गाड़ियों की सार्वजनिक निलामी द्वारा बिक्री की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में कहना है कि अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार,पटना की रद्द घोषित 15 (पन्द्रह) अदद पुलिस वाहनों की सार्वजनिक नीलामी से संबंधित विज्ञापन सी0डी0 सहित इस कार्यालय के पत्रांक–26/परि0शाखा दिनांक–06.01.2021 के आलोक में भेजी गयी थी। पुनः संशोधित सार्वजनिक नीलामी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सार्वजनिक नीलामी की सूचना का प्रकाशन सरकारी नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक(सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार,पटना।

प्रतिलिपि :– 1. आई0टी0मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार,पटना को सूचनार्थ संलग्न निविदा को वेवसाईट पर अपलोड किया जाय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार,पटना को इस प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। विज्ञापन सूचना सी0डी0 सहित संलग्न है। अनुलग्नक यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक(सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार,पटना।

अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार,पटना।
सार्वजनिक निलामी संशोधित सूचना सं0–02/2021

अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार,पटना की निम्नलिखित रदद घोषित कुल–15 (पन्द्रह) अदद वाहनों टवेरा–02, (दो), कमाण्डर जीप–09 (नौ), जिप्सी–03 (तीन),मोटर साईकिल सूजुकी –01 (एक) की सार्वजनिक नीलामी दिनांक–23.01.2021 को प्रातः 11.00 बजे जवाहर लाल नेहरू मार्ग में अवस्थित सरदार पटेल भवन में "ए" ब्लॉक के वेसमेन्ट तल पटना में डाक द्वारा निम्न शर्तो के अधीन की जायेगी :–

नीलामी की प्रक्रिया में निम्न शर्तें है :–

1. उपरोक्त गाड़ियाँ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दी जायेगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उपर्युक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते है।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. नीलामी डाक आरंभ होने के पूर्व भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सिक्यूरिटी के रूप में प्रति वाहन 10,000/– (दस हजार)रूपये मात्र की दर से बैंक ड्राफ्ट अग्रिम के रूप में **S.P.(C) C.I.D.BIHAR,PATNA** के नाम से जमा करना होगा।
4. सभी वाहनों के अधिकतम डाक की राशि पर 18 (अठारह) प्रतिशत **GST** की राशि का भुगतान सफल बोलीकर्ता को अलग से करना आवश्यक होगा।
5. पुलिस विभाग का कोई कर्मी या उसका परिवार इस निलामी में भाग नहीं लेगा। नीलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले बीडरों का जमा ड्राफ्ट तुरन्त वापस कर दिया जायेगा। उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी के पश्चात् उसी समय गाड़ी की मूल्य की आधी राशि जमा करने होगे। शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुए उनकी नीलामी रद्द कर दी, जायेगी।

अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते है। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निलामी की कार्रवाई संशोधित स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

पुलिस अधीक्षक (सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार,पटना।